



उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका, झारखण्ड
जिला आपदा प्रबंधन कोषांग, दुमका

आदेश संख्या:-.....61...../2017

सरकार के प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्र संख्या 05/आ0 प्र0 (वज्रपात)-07/2016-I-48 (आ0)/आ0 प्र0 राँची दिनांक 20/09/2017 द्वारा मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत वज्रपात से मृत व्यक्ति के आश्रितों/घायलों एवं मृत पशुओं के replacement हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (S.D.R.F) से वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपायुक्त दुमका को कुल 1,65,000.00 (एक लाख पैंसठ हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त है एवं राशि की निकासी हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(2) उक्त आवंटित राशि की निकासी निम्न वर्णित बजटशीर्ष के अन्तर्गत की जाएगी।

वचत शीर्ष	आवंटित राशि
मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्यशीर्ष-80 सामान्य लघु शीर्ष-102-विनाशवाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्धन, उप शीर्ष-11-वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनदान का भुगतान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान, सामान्य, विपत्र कोड-39S224580102110679.	1,65,000.00 (एक लाख पैंसठ हजार) रुपये मात्र
कुल एक लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र	1,65,000.00

(3) कुल प्राप्त आवंटन 1,65,000.00 (एक लाख पैंसठ हजार) रुपये मात्र में से कुल 1,15,000.00 (एक लाख पन्द्रह हजार) रुपये मात्र पूर्व स्वीकृति के अनुसार निम्नलिखित अंचल अधिकारी को उपआवंटन किया जाता है।

क्र० सं०	अंचल का नाम	आवंटित राशि
1	जरमुण्डी	1,35,000.00
2	रामगढ़	30,000.00
कुल एक लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र		1,65,000.00

(4). यह स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या-604 दिनांक 18/05/2015, 1055, दिनांक:-11/09/2015 एवं दिनांक-16.10.2015 को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राशि उपावंटित की जा रही है। सम्बन्धित अंचल अधिकारी, राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) दिशानिर्देश तथा मद एवं मापदण्ड के आलोक में अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करना सुनिश्चित करेंगे।

(5) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित अंचल के अंचलाधिकारी होंगे जिनके द्वारा सम्बन्धित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

(6) सभी भुगतान लाभार्थियों को Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से उनके बचत खाते में ही किया जाय।

(7)(क). सम्बन्धित अंचलाधिकारी भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रसंगाधीन भुगतान यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।

(ख). (I). मृतक का पोस्टमॉर्टम प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित छाया प्रति संधारित किया जाय।

(II). मानव क्षति/विकलांगता का सत्यापन एवं इसके कारण का निर्धारण सक्षम स्तर से किया जाय तथा फोटोग्राफ भी अभिलेख में रखा जाय। सक्षम स्तर मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(III). आवश्यकतानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र भी अभिलेख का अंग होगा।

(IV). वज्रपात से मृत्यु का स्पष्ट साक्ष्य होना चाहिए।

(V). प्रारम्भिक सत्यापन न्यूनतम वर्ग-2 पदाधिकारी यथा-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (BDO)/अंचल अधिकारी (CO)/कार्यपालक दण्डाधिकारी (E.M) से होना अनिवार्य रहेगा। यह घटना के 24 घंटे के अंदर पूर्ण होना चाहिए।

(VI). Legal Heirs/Successors को हि राशि का भुगतान होना चाहिए।

(VII). अभिलेख में EPIC/आधार/Bank Account का सही ब्यौरा रखना चाहिए।

(VIII) इसका ब्यौरा ओनलाइन जिले के वेबसाईट पर रखना चाहिए।

(8) आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद एवं मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।

(9). किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरण विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि प्रत्यापन की सूचना 20 मार्च 2018 के पूर्व ऑन-लाईन करने का दायित्व अंचल अधिकारी-तथा-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(10)(i). व्यय के पश्चात विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

(ii). आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा ऑकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(iii). महालेखाकार से नार्सिक/वैनासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(iv). संबंधित अंचलाधिकारी निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।

(v). सम्बन्धित अंचलाधिकारी स्थल निरीक्षण कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि राशि का भुगतान वास्तविक लाभुक को ही हो रहा है। साथ ही आश्वस्त हो लेंगे कि मुआवजा भुगतान में दूहराव नहीं हो रहा है।

- (11). निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना का कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दुसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो उस राशि की निकासी रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना सम्बन्धित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
- (12). (क) झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 (पुराना नियम 300) का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
(ख) वित्त विभागीय परिपत्र 2561, दिनांक 17/04/1998 पत्रांक-2522/वि0, दिनांक 24/10/2005 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-759 दिनांक 20/03/2015 का अक्षरशः पालन किया जाय।
(ग) कोषागार संहिता/झारखण्ड वित्तीय नियमावली विभिन्न वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रों का अनुपालन किया जायेगा।
(घ) स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर)/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
(ङ) अभिलेखों को अंकक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।
- (13). अंचल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मामले की सत्यता जाँच कर एवं पूर्णतः संतुष्ट होकर ही भुगतान करेंगे।
- (14). प्रसंगाधीन स्वीकृतादेश की सभी शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाय।

विश्वासभाजन

डा.
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :-...../10/2017

प्रतिलिपी:- अंचल अधिकारी, जरमुण्डी/रामगढ़ एवं कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

डा.
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :-...../10/2017

प्रतिलिपी:-आयुक्त, संधाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

डा.
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :-...../10/2017

प्रतिलिपी:- सरकार के सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) राँची, झारखण्ड/ सरकार के प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

डा.
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :-...../10/2017

प्रतिलिपी:- महालेखाकर राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

डा.
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांक:-.....207...../आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :-.....16...../10/2017

प्रतिलिपी:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश को दुमका जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

डा.
उपायुक्त,
दुमका